

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, खंडपीठ****लखनऊ****आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 4463 वर्ष 2026**

शैफाली गुप्ता उर्फ डॉली

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग,
लखनऊ

.....विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता

: गुलाम मुस्तफा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11**माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह**

1. प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन प्रार्थिनी की ओर से पुलिस थाना- गंगाघाट, जिला- उन्नाव से सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या 96 वर्ष 2026, अन्तर्गत धारा 108 भा.न्या.सं. में उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि दुष्प्रेरण का कोई भी तत्व विद्यमान नहीं है, फिर भी आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया है। उनका आगे यह तर्क है कि प्रार्थिनी दिनांक 27.02.2026 से जेल में है, वह कार्यवाहियों में सहयोग करने के लिए तैयार है, अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रार्थिनी की प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क दिया है कि पर्याप्त साक्ष्य एकत्र करने के पश्चात ही आरोप-पत्र दाखिल किया गया था ।
5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करने तथा जमानत आवेदन की सामग्री एवं अन्य सुसंगत दस्तावेजों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि सुसाइड नोट में यह उल्लिखित है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कि मृतक की मृत्यु के लिए प्रार्थिनी और ससुराल वाले जिम्मेदार होंगे। यह नहीं कहा जा सकता कि यह दुष्प्रेरण का साक्ष्य है। अतः, यह जमानत के लिए एक उपयुक्त वाद है।

6. जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. उपरोक्त अपराध संख्या में संलिप्त प्रार्थिनी - **शैफाली गुप्ता उर्फ डोली** को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय के संतोषप्रद एक व्यक्तिगत बंध-पत्र तथा उसी धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा कर दिया जाए:

- i. प्रार्थिनी ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा जो उस अपराध के समान हो जिसके प्रति वह आरोपी है, या संदिग्ध है, या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।
- ii. प्रार्थिनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे, और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा।
- iii. प्रार्थिनी इस आशय का एक वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के व्यतिक्रम की स्थिति में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने तथा विधि के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- iv. प्रार्थिनी प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भा.दं.सं/269 भा.न्या.सं के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।
- v. यदि प्रार्थिनी विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दं.प्र.सं/84 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा प्रार्थिनी ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार उसके विरुद्ध धारा 174-ए भा.दं.सं./209 भा.न्या.सं. के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



vi. प्रार्थिनी विचारण न्यायालय के समक्ष (1) प्रकरण के प्रारंभ होने, (2) आरोप विरचित किए जाने तथा (3) धारा 313 दं.प्र.सं./351 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत कथन अभिलिखित किए जाने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में प्रार्थिनी की अनुपस्थिति जानबूझकर की गई है या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसे व्यतिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने तथा उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त करने का एक आधार होगा।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

जून 12, 2026

अर्पण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।